न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कजोड़्या बनाम लल्लूराम वगैराह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मु.न. 22/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.09.2018	अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में वाद तकास्मा उनवानी लल्लू बनाम कजोड़्या विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित कर कुरेजात मंगवाने के आदेश पारित करने पर तहसीलदार बसवा द्वारा कुरेजात भिजवा दिये थे। किन्तु इसके पश्चात भी उप जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 31.01.2018 को पुनः कुरेजात संशोधित के आदेश पारित कर दिये। वादी ने उप जिला कलक्टर बांदीकुई से साठ–गाठ कर रखी है। वादी को उप जिला कलक्टर के आवास व चैम्बर में मिलते जुलते देखा है। तहसीलदार बसवा ने जब कुरेजात न्यायालय में भेज दिये थे तो पुनः कुरेजात मंगवाना न्यायोचित नही है। जिससे पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत स्पष्ठ प्रमाणित है इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया की उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रश्नगत भूमि के नियमानुसार तकास्मा हेतु तहसीलदार बसवा से कुरेजात तैयार कर कुरेजात भिजवाने हेतु आदेश दिये गये है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई पर लगाये गये आरोप निराधार, झूठे एवं मनगढन्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमवो। हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचारनीय पत्रावली में पुनः कुरेजात मंगवाने हेतु आदेश दिया जाना व्यक्त किया है। प्रार्थी द्वारा मात्र काल्पनिक तथ्यों के आधार पर न्याय की उम्मीद नही होना व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं. 127/2017 उनवानी लल्लूराम बनाम कजोड़्या को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत कुरेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति0 जिला कलेक्टर दौसा।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official